संख्या-4/2015/58/78-1-2015-20/2011

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2015

विषय: मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय, कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण हेतु लगाये गये कम्प्यूटर, डाटा इन्ट्री एवं प्रोग्राम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि में से द्वितीय किश्त रू0 1,25,667.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्य पाल महोदय मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण हेतु लगाये गये कम्प्यूटर, डाटा इन्ट्री एवं प्रोग्राम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 72.73 लाख (रू0 बहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) में से प्रथम किश्त रू0 9.61 लाख (रू0 नौ लाख इक्सठ हजार) की स्वीकृति आदेश संख्या-551/78-1-2014-20/2011, दिनांक 20 जून, 2014 द्वारा एवं द्वितीय किश्त के रूप में रू0 12,74,876.00(रूपये बारह लाख, चौहत्तर हजार, आठ सौ छिहत्तर मात्र) की स्वीकृति ओदश संख्या-1135/78-1-20/2011, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। तृतीय किश्त के रूप में मुख्य मंत्री कार्यालय आधुनिकीकरण हेतु लगाये गये एक "सीनियर प्रोग्रामर" के तीन माह (जनवरी, फरवरी, मार्च, 2015) के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रू0 1,25,667.00 (रूपये एक लाख पच्चीस हजार छः सौ सडसठ मात्र) निम्नलिखत शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेगें।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय, कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण हेतु लगाये गये कम्प्यूटर, डाटा इन्ट्री एवं प्रोग्राम के लिए लगाये गये मैनपावर हेतु किया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि एन0आई0सी0एस0आई0पी0एम0पी0यू0पी0,145663, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण, 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2487/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

( जी0एस0 नवीन कुमार )
विशेष सचिव।

संख्या-4/2015/58(1)/78-1-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को लखनऊ।
9- राज्य समन्वयन सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- सचिव संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
11- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, फाल फाइनेस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12- एनआईसीएसआई, हाल नं0-2व3, छठा तल, एनबीसीसी टावर, 15 भीखा जी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66।
13- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन लखनऊ।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
15- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
16- मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( हरीराम )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।